International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.201-204

भारत में भुगतान बैंकों के विकास एवं वित्तीय स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ सुरेन्द्र यादव*

प्रस्तावना

भारत में बैंकिग प्रणाली का इतिहास अत्यन्त प्राचीन रहा है। जब युरोप अदिम और बरबर युग में जी रहा था उसी समय भारत एक सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली को विकसित कर चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद काल से ही बैंकिंग प्रणाली अपना स्वरूप लेने लगी थी। इस समय "श्रेणी" नामक संस्थाओं द्वारा बैंकिंग का कार्य सम्पादित किया जाता था। आधुनिक पाश्चात्य स्वरूप वाले बैंकों का भारत में उदय 1770 में बैंक ऑफ हिन्दूस्तान की स्थापना के साथ हुआ। तत्पश्चात् 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई जो आगे चलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रूप में उभर कर आया।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बैंकों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

- वाणिज्यिक बैंक
- सहकारी बैंक
- विकास एवं निवेश बैंक

स्वतन्त्रता पश्चात हुए विकास के परिणाम स्वरूप भारत में बैंकिंग ढ़ाचे का तेजी से विस्तार हुआ है इसी का परिणाम है की आज भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 20 और निजी क्षेत्र में 22 अनुसुचित वाणिज्यिक बैंक कार्यरत हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों का विवरण निम्नानुसार है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बैंक

बैंक का प्रकार		संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र		20
निजी क्षेत्र		22
स्थानीय क्षेत्र बैंक		3
लघु वित्त बैंक		10
भुगतान बैंक		07
विदेशी बैंक		44
राज्य सहकारी बैंक	गैर अनुसुचित	11
	अनुसुचित	22
शहरी सहकारी बैंक	गैर अनुसुचित	1488
	अनुसुचित	54
केन्द्रिय सहकारी बैंक		364
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		56
स्रोत www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/Banksinindia.aspx		

* सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करौली, राजस्थान।

बैंकिंग के व्यापक ढ़ाचे के विकास के बावजूद भारतीय जनमानस के दिन प्रति दिन के कार्यकलापों में बैंकिंग अनुपस्थित थी। विद्युत का बिल हो या पेयजल, फोन, टेक्सी, ऑटो, राशन आदि का बिल सामान्य उपभोक्ता इन सभी का भुगतान नकद में करने को प्राथमिकता देता था। वस्तुतः बैंकिंग प्रणाली इतनी जटिल एवं समयसाध्य है कि सभी इससे बचने का प्रयास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए बैंकिंग के एक अत्यन्त सरलीकृत स्वरूप को हमारे सामने प्ररूतुत किया जो भुगतान बैंक (Payment Bank) के नाम से जाना जाता है।

भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित की गई एक ऐसी अवधारणा है जो उपभोक्ताओं से 95000 रू. तक की जमाएं स्वीकार करते हैं इस सीमा को भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। परन्तु इन बैंकों को किसी भी प्रकार के ऋण स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। ये बैंकिंग संस्थाएं उपभोक्ताओं के बचत एवं चालु दोनों ही प्रकार के खाते खोल सकती हैं साथ ही ये ए.टी.एम., डेबिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर सकती हैं।

बैंकिंग के विभिन्न स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन

स्वरूप	जमाएं स्वीकार करना	ऋण एवं अग्रिम देना	भुगतान करना
वाणिज्यिक बैंक	हॉ	हॉ	हॉ
भुगतान नेटवर्क परिचालक (मास्टर एवं वीजा कार्ड)	नहीं	नहीं	हॉ
भुगतान बैंक	हॉ	नहीं	हॉ

23 सितम्बर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर की अध्यक्षता में एक समीति "लघु उद्योग एवं निम्न आय गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं" विषय पर स्थापित की इस समीति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन 7 जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया। इसी समीति ने अपनी सिफारिशों में भुगतान बैंक (Payment Bank) की स्थापना का सुझाव दिया। इन सिफारिशों पर कार्य करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 जुलाई 2014 को भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए व्यापक दिशानिर्देश सामान्य जनता के सुझाओं के लिए जारी किये जिन्हें अन्तिम रूप 27 नवम्बर 2014 को दिया गया। फरवरी 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक (Payment Bank) के लाईसेन्स के लिए आवेदन करने वाले 41 आवेदकों की सूची प्रकाशित की। इन आवेदकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर की अध्यक्षता में गठित बाह्य सलाहकार समीति (EAC) द्वारा मुल्यॉकित करवाया। इस मुल्यॉकन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 को 11 आवेदकों को सैधान्तिक रूप में लाईसेन्स प्रदान किये। ये लाईसेन्स 18 माह के लिए वैधता वाले थे इन 18 माह में लाईसेन्स धारकों को बैंकिंग व्यवसाय के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करना था। आवेदकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय एवं अन्य जरूरते पूरी करनी थी जो निम्नांनुसार है।

- भुगतान बैंकों के लिए न्युनतम 100 करोड़ की चुकता इक्विटी पूॅजी रखनी होगी।
- भुगतान बैंक का लीवरेज अनुपात 3 प्रतिशत से कम न हो।
- मॉग जमा राशियें के शेष का कम से कम 75 प्रतिशत का हिस्सा सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभुतियों, ट्रेजरी बिलों में निवेश करने के लिए अपेक्षित होगी।
- प्रवर्तक का अंशदान बैंक के कारोबार की शुरूआत से पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
- बैंक का परिचालन शुरूआत से ही पूर्णतः नेटवर्क और प्रौद्योगिकी साधित होना चाहिए।

- भुगतान बैंक परिचालनात्मक प्रयोजनों और चलनिधि प्रबन्ध के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अपनी मॉग जमा राशियों का अधिकतम 25 प्रतिशत चालू एवं सावधिक जमाराशियों के रूप में रख सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 11 आवेदकों को सैधान्तिक रूप में लाईसेन्स प्रदान किया है वे आवेदक निम्नलिखित थे।

- आदित्य बिड़ला नूवो लि.
- एयरटेल एम कॉमर्स लि.
- चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन
- डाक विभाग
- फिनो पेटेक लि.
- एन. डी. एस. एल. लि.
- रिलायंस इंडसट्रीज लि.
- दिलीप शांतिलाल सांघवी
- विजय शंकर शर्मा पेटिम पेमेन्ट बैंक लि.
- टेक महिन्द्रा लि.
- वोडाफोन एम पैसा

वर्तमान में केवल 7 भुगतान बैंकों ने ही कार्य प्रारम्भ किया हैं अन्य सभी ने अपने सैधान्तिक रूप में प्राप्त लाईसेन्स भारतीय रिजर्व बैंक पुनः समर्पित कर दिये हैं। जिन बैंकों ने कार्य प्रारम्भ किया हैं वे निम्नलिखित हैं।

- आदित्य बिड़ला भुगतान बैंक
- एयरटेल भुगतान बैंक
- इण्डिया पोस्ट भुगतान बैंक
- फिना भुगतान बैंक
- जीओ भुगतान बैंक
- पेटिम पेमेन्ट बैंक लि.
- एन. डी. एस. एल. लि. भुगतान बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार भुगतान बैंकों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- वित्तीय समावेशन को बढावा देना।
- लघु बचत खाते उपलब्ध कराना ।
- प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान/विप्रषण सेवाएं प्रदान करना।

स्थापित होने वाले भुगतान बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य करने की स्विकृती प्रदान की गयी।

- मॉग जमा राशियों को स्वीकार करना।
- एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना।
- विभिन्न सारणियों के माध्यम से भुगतान और धन प्रेषण सेवाएं।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों से संबन्धित रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशोंके अधिनरहते हुए अन्य बैंक का व्यवसाय प्रतिनिधि बनना।
- म्युच्युअल फंड इकाइयों और बीमा उत्पाद आदि जैसे जोखिम रहित सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण।

भारी पूँजी निवेश, आधारढ़ाचे के विकास तथा परिचालन लागतों के चलते परिचालित किए जा रहे सभी भुगतान बैंक भारी हानि उठा रहे हैं। वित्त वर्ष 2017 में भुगतान बैंकों की शुद्ध हानि 242.2 करोड़ रू. थी जो वित्त वर्ष 2018 में बढ़ कर 516.5 करोड़ रू. हो गयी। अतः स्पष्ट है की एक वित्त वर्ष में भुगतान बैंकों की शुद्ध हानि में 213.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी समय अवधी में परिचालन लाभ भी नकारात्मक रहे हैं ये 240.7 करोड़ रू. से बढ़कर 522.1 करोड़ रू. हो गये हैं।ये समस्त तथ्य सुधार की किसी सम्भावना को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2017 में जमाओं में वृद्धि दर जो 5.7 प्रतिशत थी वह अगले वर्ष वित्त वर्ष 2018 में बढ़ कर 9 प्रतिशत हो गयी है। इसी समय अवधी में ब्याज से होने वाली शुद्ध आय में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है यह 30.7 करोड़ रू. से बढ़ कर 151.1 करोड़ रू. हो गयी है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2018 में कुल दायित्वों में तिव्र वृद्धि देखने को मिली है ये अपनी सम्पत्तियों की तुलना में 409.97 प्रतिशत बढ़े हैं। कुल दायित्व/ कुल सम्पत्ति अनुपात वित्त वर्ष 2017 में 1193.9 करोड़ से बढ़ कर 4891.6 करोड़ हो गया है। भुगतान बैंकों की वित्तीय स्थिती संकटापन्न है वृहद निवेशों की तुलना में आय नहीं हो पा रही है लगातार हो रही हानी से परेशान हो आदित्य बिड़ला भुगतान बैंक ने अपना व्यवसाय 19 जुलाई 2019 को बंद कर दिया है।

अपनी दैनीय वित्तीय स्थिती के बावजूद भुगतान बैंकों ने बैंकिंग के क्रियात्मक स्वरूप को सरलीकृत करने का कार्य किया है वर्तमान में भुगतान बैंकों का 81 प्रतिशत व्यवसाय इन्टरनेट आधारित मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संचालित हो रहा है। दिन प्रति दिन के ऐसे अनेक कार्य जो रोकड़ में सम्पादित किये जाते थे अब भुगतान बैंकों के माध्यम से गैर रोकड़ स्वरूप में सम्पन्न होने लगे हैं। ऐसी सम्भावना है जैसे जैसे भुगतान बैंकों का ग्रहक दायरा बढ़ता चला जायेगा ये न केवल लाभ की स्थिती में आ जायेंगे अपीतु अर्थव्यवस्था के समावेशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भुमिका निभाने लगेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Bandyopadhyay, T. (2016),"Payment Banks : How many more will call it quits?"
- Economic Times, Jan 02,2019
- Economic Times, July 20,2019
- http://www.rbi.org.in

❖◆❖